

Date ____/____/____

Page No.: ①

Date :- 19/04/2020

Content Writer :-

Dr. Akhaya Kumar Pathak
Deptt. of Economics,
Mamari College,
Daxbarga (LNMU)

Degree Part-I (Hons.)

Paper - I

Content of the Paper :-

Micro Economics

Module - 4

TOPIC :- ANALYSIS OF MONOPOLISTIC
COMPETITION

(एकाधिक प्रतियोगिता का विश्लेषण)

एकाधिकृत प्रतिभागिता है आशय बाजार की इस अवस्था से है जिसमें विक्रेता वस्तुओं में इतना विभेद पाया जाता है कि वे एक-दूसरे की पूर्ण स्थानीयता नहीं होती। प्रत्येक उत्पादक को विक्रेता को अपनी वस्तु पर पूर्ण एकाधिकार तो होता है परन्तु चूंकि इस बाजार में अपूर्ण स्थानीयता वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है अतः ऐसी अवस्था को एकाधिकृत प्रतिभागिता की स्थिति कहते हैं। चूंकि पूर्ण प्रतिभागिता तथा पूर्ण एकाधिकार दोनों ही बाजार की काल्पनिक दृष्टाएं हैं, अतः वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतिभागिता एवं मध्यम बाजार की अवस्थाओं का त्रिक विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किया है। अर्थात् अपूर्ण प्रतिभागिता बाजार की वह स्थिति है जो पूर्ण प्रतिभागिता एवं एकाधिकार दोनों की चरम स्थितियों के मध्य होती है। इसी स्थिति को पश्चिम अर्थशास्त्री प्रोफ. जेम्स डुगल ने एकाधिकृत प्रतिभागिता के रूप में रेखांकित किया है।

निरक्षरस्वरूप, हम कह सकते हैं कि एकाधिकृत प्रतिभागिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें अनेक किन्तु छोटे आकार की प्रतिभागिताएँ होती हैं जो अपने-अपने-अपने मिलाबी-जुलबी वस्तुएँ बेचती हैं परन्तु वे वस्तुएँ पूरी तरह से समरूप नहीं होती, अर्थात् वस्तुओं में छोटी-बहुत भिन्नता अवश्य पायी जाती है।

एकाधिकृत प्रतिभागिता की विशेषताएँ:-

एकाधिकृत प्रतिभागिता की विशेषताओं को निम्नांकित रूप में व्यक्त कर सकते हैं:-

- (1) विक्रेताओं की अधिक संख्या:- एकाधिकृत प्रतिभागिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, परन्तु प्रत्येक विक्रेता बहुत छोटा होता है तथा वह कुल उत्पाद का बहुत छोटा भाग उत्पादित करता है। इन विभिन्न विक्रेताओं के बीच प्रतिभागिता होती है, वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते

हैं और इनमें कोई समझौता एवं गुप्त रहित नहीं होती।

(ii) **वस्तु-विगोहता वस्तु-निवृत्ति :-**
 वस्तु-विगोह एक अधिकृत प्रतिभाशिला का गुण था। वस्तु-विगोह से तात्पर्य है कि वस्तु-विगोह की दृष्टि से वस्तु एक ही नहीं होती है।

(iii) **कर्मों का स्वतंत्र प्रवेष्ट :-** एक अधिकृत प्रतिभाशिला में इच्छा में किसी कर्म को प्रवेष्ट की पूर्ण स्वतंत्रता होती है परन्तु पूर्ण प्रतिभाशिला की तुलना में इच्छा प्रवेष्ट कुछ कठिन होता है क्योंकि बाजार की इस अवस्था में वस्तु-विगोह की स्थिति विद्यमान रहती है।

(iv) **विक्रय लागत :-**
 बाजार की इस अवस्था में विक्रय लागत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक कर्म अपने कर्मों की तुलना में अपने उत्पादन की अधिक मात्रा में बेचने में दृष्टि से विचारण एवं प्रचार पर खर्च करती है। इस प्रकार इन कर्मों में गैर-समत प्रतिभाशिला पायी जाती है।

(v) **प्रत्येक कर्म अपनी वस्तु के लिए एकधिकारी :-**
 बाजार की इस अवस्था में प्रत्येक कर्म का अपनी वस्तु पर एकधिकार होता है। अर्थात् इस नाम की वस्तु अन्य कोई कर्म नहीं बना सकता।

(vi) **समूह पर विचार :-** एक अधिकृत प्रतिभाशिला की स्थिति में इच्छा का साम्य नहीं होता है बल्कि समूह का साम्य होता है। एक अधिकृत प्रतिभाशिला अपने प्रतिभाशिलों को न्यूनतम अपूर्ण रूप है।

एकाधिकृत प्रतिभागिता में फर्म का सँतुलन :-

(I) अल्पकाल में फर्म का सँतुलन :-

अल्पकाल में निकट ध्यानापन वस्तुओं के उत्पादन करने वाले उत्पादकों में प्रतिभागिता बहुत ज्यादा होती है और उत्पादक मांग के अनुसार अपनी पूर्ति को समायोजित नहीं कर पाते हैं। अतः अल्पकाल में उत्पादक को अधिकमात्रा में लाभ या हानि भी होना पड़ती है। यदि फर्म की वस्तु की मांग मजबूत होती है और इसका कोई निकट ध्यानापन नहीं होता है तो फर्म अपनी वस्तु की कीमत ऊँचा निर्धारित करने के हित में होगी तथा इसलिए यह असामान्य लाभ पैदा करेगी। दूसरी तरफ फर्म के वस्तु की मांग अगर कमजोर होती है तो फर्म शुद्ध लाभ अपना सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। इसके अतिरिक्त यदि फर्म के वस्तु की मांग अल्पधिक कमजोर होती है तो वह हानि उठाएगी क्योंकि अल्पकाल में यह खर्च हो सकता है कि फर्म अपने उत्पादन का समायोजन मांग के अनुसार न कर सके। अतः अल्पकाल में फर्म एकाधिकृत प्रतिभागिता की हित में निम्नांकित तीन परिस्थितियों का सामना कर सकता है :-

- (A) असामान्य लाभ ।
- (B) सामान्य लाभ ।
- (C) हानि ।

(II) दीर्घकाल में फर्म का सँतुलन या समूह सँतुलन :-

दीर्घकाल में फर्म के सँतुलन का निम्नांकित रूप से व्यक्त किया जा सकता है :-

(A) असामान्य लाभ नहीं :-

दीर्घकाल में समग्र इतना अधिक होता है कि फर्म मांग में होने वाले परिवर्तनों

के अनुसार अपने पूर्ति का समाप्ति कर सकती है।
 फर्म अपने आकार में परिवर्तित कर सकती है, फिर वापस
 में परिवर्तित किया जा सकता है तथा नई फर्म का स्थापना
 की जा सकती है। अतः दीर्घकाल में किसी भी फर्म का
 सामान्य लाभ प्राप्त नहीं हो सकता।

(4) दीर्घकाल में किसी भी फर्म का धानि नहीं हो सिली:-

दीर्घकाल में तो फर्म धानि कर सारा
 वहन कर लेती है क्योंकि उसे यह जाना रहती है कि वह इस
 धानि का भविष्य में पूरा कर लेगी। परन्तु दीर्घकाल में फर्मों
 को धानि होगी तो उत्पादन को घटि करके इधर से उधर चला
 जाएगा जिससे उत्पादन को स्तर को इस तरह की पूर्ति कम
 हो जाएगी। पूर्ति कम होने से फर्म की कीमतें बढ़ेंगी तथा
 फर्मों को पुनः सामान्य लाभ प्राप्त होने लगेंगे। अतः
 दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा।

(5) संतुलन शर्त :-

सन्तुलित प्रतिपत्ति में दीर्घकाल

संतुलन की निम्नोक्ति शर्तें हैं :-

- (i) सीमान्त लागत सीमान्त आय के बराबर हो।
- (ii) सीमान्त लागत वह सीमान्त आय वह अनिवार्य
 हो करे।
- (iii) दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त
 होगा अतः किन्हीं भी स्तर कीमत जो स्तर लागत के
 बराबर होगी।